



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08022021-225002
CG-DL-E-08022021-225002

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 519]

नई दिल्ली, सोमवार, फरवरी 8, 2021/माघ 19, 1942

No. 519]

NEW DELHI, MONDAY, FEBRUARY 8, 2021/MAGHA 19, 1942

वित्त मंत्रालय

(वित्तीय सेवाएं विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 8 फरवरी, 2021

का. आ. 571(अ).— भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम, 1981 (1981 का 28) की धारा 6 की उप-धारा (1) के खंड (ड.) के उप-खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा, श्री बिद्युत बिहरि स्वैन के स्थान पर श्री अमिताभ कुमार, संयुक्त सचिव, वाणिज्य विभाग को तत्काल प्रभाव से और अगले आदेशों तक, भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक) के निदेशक मंडल में निदेशक नामित करती है।

[फा.सं. 9/16/2012-आईएफ-1]

ललित कुमार, आर्थिक सलाहकार

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Financial Services)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th February, 2021

S.O. 571(E).— In exercise of the powers conferred by Sub-Clause (i) of Clause (e) of sub-section (1) of Section 6 of the Export Import Bank of India Act, 1981 (28 of 1981), the Central Government hereby nominates Shri Amitabh Kumar, Joint Secretary, Department of Commerce, as Director on the Board of Directors of Export Import Bank of India (Exim Bank) *vice* Shri Bidyut Behari Swain with immediate effect and until further orders.

[F. No. 9/16/2012-IF-I]

LALIT KUMAR, Economic Adviser